संख्या- 47/2017/913/71-2-17-48/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

2- कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ।

4- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

5- निदेशक,
सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

6- निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान/विश्वविद्यालयों के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालयों को उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अंतर्गत कुल रू0 568.2862 करोड की धनराशि अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र	संस्थान/विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अमुक्त धनराशि (करोड में)
1	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	2210-05-105-03-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**48.7500**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**146.7242**
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	2210-05-105-03-0328-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**16.5208**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**67.1868**
3	पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई इटावा।	2210-05-105-03-0331-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**4.5833**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**6.4618**
4	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ।	2210-05-105-03-0325-डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**10.4167**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**31.6173**
5	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**28.7500**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**175.3774**
6	सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**1.8750**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**1.4821**
7	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।	2210-05-105-03-0370-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना-	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**11.2500**
			31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	**17.2908**
			योग-	**568.2862**

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 47/2017/913(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, (लखनऊ/इटावा/गौतमबुद्धनगर)
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।